रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 825] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2014/चैत्र 11, 1936
No. 825] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2014/CHAITRA 11, 1936

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा यूनिट)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

का. आ. 992(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत दिनांक 18.02.2014 को फाइल संख्या-673/10/2013-सीमा-शुल्क-VIII के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री कृष्ण कुमार अरोड़ा ऊर्फ के. के. अरोड़ा, पुत्र स्वर्गीय श्री करतार चंद, निवासी मकान सं. ई-34, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 को केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में रोका जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में माल की तस्करी करने से उन्हें रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके।

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, दिल्ली के सामने उपस्थित हो ।

[फा. सं. 673/10/2013- सीमा-शुल्क-VIII]

हरमीत एस. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA UNIT)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 2014

S.O. 992(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order F.No.673/10/2013-Cus.VIII, dated 18.02.2014 under the said sub-section directing that Shri Krishan Kumar Arora @ K.K.Arora, S/o Late Shri Kartar Chand, R/o House No. E-34, Rajouri Garden, New Delhi-110027, be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from smuggling the goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F.No. 673/10/2013-Cus.VIII]

HARMEET S. SINGH, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

का. आ. 993(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत दिनांक 18.02.2014 को फाइल संख्या-673/11/2013-सीमा-शुल्क-VIII के तहत जारी आदेश

में यह निदेश दिया गया था कि श्री मल्य भट्टाचार्य ऊर्फ प्रबीर, पुत्र श्री नेपाल कृष्ण भट्टाचार्य, निवासी गांव-उत्तर चित्रा, डाकघर-दक्षिण चित्रा, पुलिस स्टेशन, बधुरिया, जिला- चौबीस परगना (उत्तर), पंश्चिम बंगाल-743401 को प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम, कोलकता में रोका जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में माल की तस्करी करने से उन्हें रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके।

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, कोलकाता के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. 673/11/2013-सीमा-शुल्क-VIII]

हरमीत एस. सिंह, संयुक्त सचिव

IndiaCode

ORDER

New Delhi, the 31st March, 2014

S.O. 993(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order F.No.673/11/2013-Cus.VIII, dated 18.02.2014 under the said sub-section directing that Shri Malay Bhattacharyya @ Prabir, S/o Shri Nepal Krishan Bhattacharyya, R/o Village- Uttar Chitra, P.O. Dakshin Chatra, P.S.Baduria, Distt. 24 Parganas (North), West Bengal-743401, be detained and kept in custody in the Presidency Correctional Home, Kolkata with a view to preventing him from smuggling the goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Kolkata within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F.No. 673/11/2013-Cus.VIII]

HARMEET S. SINGH, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

का. आ. 994(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत दिनांक 18.02.2014 को फाइल संख्या-673/12/2013-सीमा-शुल्क-VIII के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री वित्याश कोसर, पुत्र श्री विनोद कुमार कोसर, निवासी मकान नं. सी-376, दूसरी मंजिल, सरस्वती विहार, नई दिल्ली-110034 को केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में रोका जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में माल की तस्करी करने से उन्हें रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके।

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, दिल्ली के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. 673/12/2013-सीमा-शुल्क-VIII]

हरमीत एस. सिंह, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st March, 2014

S.O. 994(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order F.No.673/12/2013-Cus.VIII, dated 18.02.2014 under the said sub-section directing that Shri Vitaysh Koser, S/o Vinod Kumar Koser, R/o House No. C-376, 2nd Floor, Saraswati Vihar, New Delhi-110034, be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from smuggling the goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F.No. 673/12/2013-Cus.VIII]

HARMEET S. SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.